राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 1400–पीबीआर/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–5–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से यह विवादित प्रकरण म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है और प्रकरण में प्रश्नाधीन आदेश की सत्य प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गई है । आवेदकगण के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेशों के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । संहिता की धारा 32 में तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेशों के विरूद्ध इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः यह प्रकरण विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य किया जाता है । **(स्वदीप सिंह)** **अध्यक्ष**	

...मनोदय के समक्ष ...

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES TEN RUPEES

समक्ष माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, भोपाल

विविध 1500 - PBR/14 निगरानी प्र.क्र. — / निग / 2012—13

1. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व. श्री रतनलाल शर्मा
2. श्री सुदर्शन शर्मा आ. स्व. श्री रतनलाल शर्मा
3. श्री अरविंद शर्मा आ. स्व. श्री रतनलाल शर्मा .... आवेदकगण

निवासी - ग्राम - भौरी तह॰ - हुजूर जिला - भोपाल

विरुद्ध

श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री सतीश मिश्रा,
निवासी— वार्ड क्र. 11, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक
वाली गली,नगर पंचायत, सुठालिया, जिला राजगढ़ (म.प्र.) .... अनावेदकगण

द्वारा दीक्षित, भोपाल
आज दि 1-5-14

आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा 32 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदकगण की ओर से निवेदन है कि :—

01. यह कि आवेदकगण द्वारा एक अपील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के समक्ष प्रकरण क्र. 38 / अपील / 2010—11 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो प्रकरण क्र. 26 / अपील / 2011—12 के रूप में पंजीबद्ध है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के समक्ष उक्त अपील के विचाराधीन रहने के दौरान आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार जैन व अतुल जैन द्वारा कथित विक्रय पत्र के आधार पर खसरा क्र. 1172 रकबा 6.83 एकड़ में से 5.83 एकड़ के संबंध में नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण क्र. 82 / अ—6 / 12—13 एवं 83 / अ—6 / 12—13 के रूप में पंजीबद्ध हुए थे। उक्त अपील में आपत्तिकर्तागण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने के कारण एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो निगरानी प्रकरण क्र. 762 / पीबीआर / 2013 के रूप में पंजीबद्ध हुई जिसमें दिनांक 05.07.2013 को आदेश पारित करते हुए माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा आवेदकगण की निगरानी स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा दिनांक 05.12.2011 को जारी स्थगन आदेश आगामी तीन माह के लिये बढ़ाते हुए अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त—4, तहसील हुजूर, भोपाल के समक्ष लम्बित प्रकरण क्र. 82 / अ—6 / 12—13 एवं 83 / अ—6 / 12—13 की कार्यवाही स्थगित रखते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देते हुए उन पर विस्तृत विवेचना कर तीन माह में आदेश पारित करें।

र दीक्षित (एडु.)
ग्वालियर
1/5/14